



ATMA योजना

शुरू	2005-06
पूर्ण रूप	एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी
परिचय	<p>एटीएमए जिले में सतत कृषि विकास के लिए कृषि गतिविधियों में शामिल प्रमुख हितधारकों की एक सोसायटी है। यह अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को एकीकृत करने और सार्वजनिक कृषि प्रौद्योगिकी प्रणाली (एटीएस) के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के विकेंद्रीकरण के लिए एक केंद्र बिंदु है। यह जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए उत्तरदायी पंजीकृत समाज है।</p>
जिला स्तर पर एटीएमए गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष	जिलाधिकारी/ मजिस्ट्रेट केंद्र सरकार
फंडिंग पैटर्न	90% राज्य सरकार: 10%
एक और नाम	विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन
परिचालन	28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 691 जिले

प्रधानमंत्री KUSUM योजना

शुरू	8 मार्च 2019
पूर्ण रूप	किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उठान महाअभियान
उद्देश्य	34,422 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर और अन्य नवीकरणीय क्षमता को जोड़ने का लक्ष्य है।
बजट	700 करोड़ (2020-21)

घटक	<p>इस योजना के तीन घटक हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> घटक ए: 10,000 मेगावाट विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का व्यक्तिगत संयंत्र आकार 2 मेगावाट तक। कंपोनेंट बी: 7.5 एचपी तक अलग-अलग पंप क्षमता के 17.50 लाख स्टैंडअलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप की स्थापना। कंपोनेंट सी: 7.5 एचपी तक अलग-अलग पंप क्षमता के 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण।
अतिरिक्त विवरण	<p>पीएम CUSUM योजना के तहत 20 लाख किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। अन्य 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सौरीकृत करने में मदद की जाएगी।</p> <p>इस योजना से किसान अपनी बंजर जमीनों पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित कर उसे पावर ग्रिड को बेच सकेंगे।</p>

फसल अवशेष प्रबंधन योजना

शुरू	2018
मंत्रालय	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
धन	100% केंद्रीय
एक और नाम	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी राज्यों में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना
बजट आवंटन	2018-19 और 2019-20 के दौरान 1178 करोड़ रुपये 600 करोड़ रुपए (2020-21) यानी 548 करोड़ राज्यों को जारी किए।



APMC (एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किट कोमेटी)

अधिनियम में लागू	2003
परिचय	<p>एपीएमसी का अर्थ है एपीएलएम अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समिति।</p> <p>एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किट कोमेटी (एपीएमसी) राज्य सरकार के अधीन संचालित एक प्रणाली है क्योंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है।</p> <p>एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किट कोमेटी (एपीएमसी) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विपणन बोर्ड हैं ताकि बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण की घटनाओं को समाप्त किया जा सके, जहां उन्हें अपनी उपज बेहद कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है।</p>
कुल एपीएमसी लिंक	1000

LEARNIZY